न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम, ज्ञानपुर–भदोही

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं० 105 सन् 2026

UPSN010003192026

सुदामा यादव उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र चानिका प्रसाद यादव निवासी ग्राम छनौरा थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही।

......................प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या– 03 सन 2025
धारा –318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस०
थाना –दुर्गागंज, जिला भदोही।

11.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त सुदामा यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–03 सन 2025 अन्तर्गत धारा– 318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस० थाना–दुर्गागंज, जिला भदोही के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा धारा –173(4) बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया था कि विपक्षी कृष्ण कुमार व सुदामा प्रार्थी के सगे भाई चानिका के लड़के है और विपक्षी चन्दा देवी विपक्षी कृष्ण कुमार यादव की औरत व विपक्षी सुदामा यादव की भाभी है। सुदामा यादव ग्रामसभा छनौरा का सहायक सचिव है जो अपने पद का दुरुपयोग करता रहता है। सभी विपक्षीगण संख्या–1 ता 3 व सम्बन्धित कर्मचारी व गाँवसभा अध्यक्ष आपस में साजिश करके फर्जी कागज तैयार कर कराकर और विपक्षी सुदामा यादव अपने ग्रामसमा छनौरा के सहायक सचिव के पद का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेज उपरोक्त लोगों से मिल मिलाकर तैयार कर कराकर उसका दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नम्बर 2 चन्दा देवी अपने पति विपक्षी से 1 के जीवित रहते हुए चन्दा देवी निराश्रित महिला पेंशन कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से ले रही है। चन्दा देवी विपक्षी निराश्रित महिला नहीं है बल्कि चन्दा देवी के पति कृष्ण कुमार जीवित है। विपक्षी कृष्ण कुमार यादव व सुदामा यादव व

कृष्ण कुमार की औरत चन्दा देवी व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी व सम्बन्धित ग्रासमभा के प्रधान व उनके घर के कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत आपस में मिल मिलाकर धोखाधड़ी करके छल कपट के आधार पर फर्जी कूटरचित आवश्यक कागजात व दस्तावेज तैयार कर कराकर फर्जी रिपोर्ट सम्बन्धित कर्मचारियों से लगवाकर व्यक्तिगत नाजायज लाभके लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आशय से सरकारी धन का दुरुपयोग उक्त लोग नाजायज रुप से लाभान्वित होकर कर करवा रहे है। चन्दा देवी जिनके नाम निराश्रित महिला पेंशन बनवाया गया है उसके पति कृष्ण कुमार जिवित है और सुदामा यादव पुत्र चानिका ग्रामसभा छनौरा के सहायक सचिव पद पर कार्यरत है अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी कागजात सरकारी कर्मचारियों व गाँवसभा छनौरा से मिल मिलाकर कूटरचित कागजात छल कपट के आधार पर तैयार कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर करवा रहे है। विपक्षीगण जान–बूझकर कूटरचित फर्जी दस्तावेजात तैयार कर करवाकर उसको सही बताकर उसका दुरुपयोग कर निराश्रित महिला पेंशन चन्दा देवी पत्नी कृष्ण कुमार के नाम बनवाकर महिला कल्याण विभाग के सरकारी खजाने से ले रहे हैं। विपक्षीगण फर्जी दस्तावेजात तैयार करने कराने के माहिर व भू–माफिया किस्म के भी व्यक्ति है और जान–बूझकर व्यक्तिगत रुप से लाभान्वित हो रहे है। प्रार्थी को जब उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुयी तो जरिये डक रजिस्ट्री माननीय जिला मजिस्ट्रेट भदोही / जिलाधिकारी भदोही व माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मदोही को प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 ई0 को दिया लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी लाचार होकर अदालत हाजा में दरख्वास्त दे रहा है कि थाना दुर्गागंज जिला भदोही में प्रथम सूचना रिपोर्ट विपक्षीगण व सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ जो उक्त अपराध में शामिल है दर्ज कराकर मामले की विवेचना कराया जाना जरूरी है। मामला गम्भीर प्रकृति का है और संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध विपक्षीगण व उसमें लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ बनता है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है स्वयं मुकदमा लड़ने में असमर्थ है और उक्त अपराध से सम्बन्धित कागजात सरकारी विभाग में है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी की कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इसके पहले किसी भी सेशन न्यायालय में नहीं दिया गया है। प्रार्थी की कोई भी अग्रिम जमानत की दरखास्त माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन नहीं है, न तो दिया गया है। प्रार्थी को यह आशंका है कि थाना दुर्गागंज की पुलिस अपराध सख्या 3 सन् 2025 ई० धारा 318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस० में गिरफ्तारी करके बेईज्ज़त करेगी जिससे प्रार्थी न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है। थाना दुर्गागंज की पुलिस प्रार्थी के विरोधियों

की साजिश में होकर प्रार्थी को गिरफ्तार करके मारना पीटना चाहती है, बेईज्ज़त करना चाहती है और प्रार्थी के घर बराबर दबिश दे रही है। प्रार्थी के खिलाफ थाना दुर्गागंज द्वारा एक झूठा मुकदमा उपरोक्त धारा 318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस० का चलाया गया है। प्रार्थी ने कोई भी फर्जी कागजात तैयार नहीं करवाया है, न तो प्रार्थी कोई भी कूटरचित पेपर तैयार करके न तो प्रार्थी किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी छल कपट किया है, न तो प्रार्थी धोखाधड़ी छल कपट करके चन्दा देवी का निराश्रित महिला पेंशन बनवाया है, वादी द्वारा सब झूठी व मनगढन्त कहानी बनायी है। प्रार्थी ने कोई भी धोखाधड़ी छल कपट कूटरचित पेपर न तो प्रार्थी कोई भी सरकारी लाभ लिया है, न तो प्रार्थी ने कोई भी व्यक्तिगत लाभ लिया है, न तो प्रार्थी सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा सब झूठी व मनगढ़न्त कहानी बनायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस० में कृष्ण कुमार यादव चन्दा देवी, सुदामा यादव के नाम दर्ज हुआ दौरान विवेचना विवेचक ने कृष्ण कुमार यादव व चन्दा देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में नही दिया, केवल प्रार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया है और मुकदमें में धारा 318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस० की घटोत्तरी करके धारा –340 (2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी कर दिया है। इस प्रकार भी प्रार्थी के ऊपर कोई भी अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी निराश्रित पेंशन से न तो खुद लिया है न तो प्रार्थी को पेंशन से कोई वास्ता या सरोकार नही है, प्रार्थी को रजिशन मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 173(4) के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा कायम हुआ है प्रार्थी के खिलाफ कोई थाने में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, न तो प्रार्थी के खिलाफ कोई भी मुकदमा वादी के तहरीर पर थाने में मुकदमा लिखा गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के साथ और कई लोगों को अभियुक्त बनाया है लेकिन विवेचक ने सिर्फ प्रार्थी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया है और किसी को मुल्जिम नहीं बनाया है। प्रार्थी के ऊपर कोई भी अपराध धारा 318(4), 336 (3), 340(2) बी०एन०एस० का नहीं बन रहा है। प्रार्थी से व वादी मुकदमा से दीवानी का मुकदमा चल रहा है, इसी मुकदमें की रंजिश को लेकर प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाये है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब से दर्ज कराने का कोई कारण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है जिससे भी घटना झूठी व मनगढन्त साबित होती है। लाभ तो चन्दा देवी ले रही है और मुल्जिम प्रार्थी को बनाया गया है जबकि प्रार्थी का मुकदमें में कोई रोल नहीं है, न तो प्रार्थी से और चन्दा देवी से ही कोई वास्ता व सरोकार है, प्रार्थी को अनायास मुकदमें में फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा जितने पेपर लगाये गये है किसी भी पेपर पर न तो प्रार्थी का

हस्ताक्षर है न तो ओवर राइटिंग की गयी है, इस प्रकार भी प्रार्थी के ऊपर कोई भी अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रार्थी का चाल चलन सदैव अच्छा रहा है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अपनी अग्रिम जमानत मुचलिका देने के लिए तैयार है। प्रार्थी की अग्रिम जमानत मंजूर हो जाने पर प्रार्थी जमानत का कोई दुरुपयोग नही करेगा, सीमा क्षेत्र के बाहर नही जायेगा, और गवाहों के उपर कोई दबाव नहीं डालेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त के जमानत का विरोध कथन किया गया कि कि अभियुक्त के द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व करवाकर , उसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की मदद से चन्दा देवी को निराश्रित पेन्शन के माध्यम से लाभान्वित करते हुए सरकार के साथ छल किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त ने गम्भीर अपराध कारित किया है।

5 प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

6. प्रथम दृष्टया केस डायरी का अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि इस मामले में अभियुक्त को सहायक सचिव होना दर्शाया गया है, जिसके द्वारा अपनी भाभी चंदा देवी को लाभार्थी के रूप में दिखाते हुए और अपने भाई कृष्ण कुमार यादव की मृत्यु दिनांक 20.06.2023 को होना दर्शाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किये जाने व इस बावत प्रार्थना पत्र दिये जाने हेतु कार्यवाही की गई है। प्रथम दृष्टया केस डायरी का अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि अभियोजन की ओर से यह दर्शाया गया है कि विजय कुमार पंचायत सचिव को मोबाइल से ऑनलाइन ओ०टी०पी० प्राप्तकर उसके मोबाइल से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना दर्शाया गया है। यह तथ्य भी दर्शाया गया है कि अभियुक्त सुदामा यादव पर विश्वास करके पंचायत सचिव के द्वारा कार्यवाही किया जाना दर्शित किया गया है, कृष्ण कुमार यादव की मृत्यु होने के सम्बन्ध में कोई भी जाच किया जाना अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि चंदा देवी पत्नी कृष्ण कुमार यादव, जो कि इस मामले में लाभार्थी हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके अकाउण्ट में पैसा जाना बताया गया है। इस मामले में अभियुक्त की ओ र से प्रस्तुत आवेदन को हस्तलेख जांच हेतु नहीं भेजा गया है। पंचायत सचिव विजय कुमार का बयान प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में चंदा देवी के खाते में तीन त्रैमासिक में रुपया पेंशन योजना के अन्तर्गत आने और उससे रुपया निकाला जाना भी

दर्शाया गया है। जिससे यह तथ्य कि खाते के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रही हो , पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में विवेचना के स्तर पर गंभीर त्रुटि होना दर्शित होता है। अभियुक्त की भूमिका को स्पष्ट रूप से पुलिस के द्वारा नहीं दर्शाया गया है। आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। विचारण में विलम्ब लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

7. अतः मामले की परिस्थितियों, को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त सुदामा यादव की ओर से अपराध संख्या– 03/2025 धारा–318(4), 336(3), 340(2) बी०एन०एस०, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1. अभियुक्त सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा एवं आरोप विरचन , धारा–351 बी०एन०एस०एस० के बयान व निर्णय हेतु नियत दिनांक को सम्बन्धित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

2. अभियुक्त किसी प्रकार साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगा अथवा साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

3. अभियुक्त साक्षीगणों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा ।

4. अभियुक्त के द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो सक्षम प्रतिभूप्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

5. अभियुक्त उसी प्रकृति का अपराध जिसका कि किये जाने का उसपर अभियोग है पुनः वह अपराध नहीं करेगा।

6. यदि अभियुक्त जमानत पर छोडे जाने के बाद उपस्थित नहीं होते हैं तो अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन देने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांकः–11.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो प्रथम, भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 10:00:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court